उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–1
संख्या–2002 /9–1–2016–115सा./2013
लखनऊ : दिनांक 30 जून, 2016

अधिसूचना

चूँकि, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–2, सन् 1916) की धारा–4 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार नगर पंचायत, एका, जनपद–फिरोजाबाद के प्रस्तावित सांक्रांतिक क्षेत्र पर आपत्ति और सुझाव को आमन्त्रित करने के लिये सरकारी अधिसूचना संख्या–2227/9–1–2014–115सा/2013, दिनांक 04 जून, 2014 प्रकाशित किया गया था और सरकारी अधिसूचना संख्या–2227/9–1–2014–115सा/2013, दिनांक 04 जून, 2014 के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों का निस्तारण सरकारी आदेश संख्या–881/9–1–2015–115सा/2013, दिनांक 27 मार्च, 2015 द्वारा किया गया था।

अतएव, अब उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–2, सन 1916) की धारा 3 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 243–थ के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, स्थानीय प्रशासन के लिए जनित राजस्व, कृष्येतर कार्यकलापों में नियोजन के प्रतिशत और आर्थिक महत्व को ध्यान में रखते हुए अधिसूचित करते हैं कि स्थानीय क्षेत्र, जिसकी सीमा नीचे अनुसूची–1 और अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट है, भारत का संविधान के भाग नौ–क के प्रयोजनार्थ सांक्रांतिक क्षेत्र होगा और उक्त सांक्रांतिक क्षेत्र के लिए एक नगर पंचायत का गठन किया जायेगा, जिसे नगर पंचायत एका, जनपद फिरोजाबाद के रूप में जाना जायेगा।

अनुसूची–1

ग्राम	गाटों का विवरण
एका	01 से 6642 तक

अनुसूची–2

जनपद फिरोजाबाद में नगर पंचायत, एका की सीमाएं

पूरब चौहद्दी के ग्राम– रामपुर।
दक्षिण चौहद्दी के ग्राम– पेंढत।
पश्चिम चौहद्दी के ग्राम– देवा, गदनपुर, नगला गोशा।
उत्तर चौहद्दी के ग्राम– आपुर।

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या–2002 (1)/9–1–2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि उक्त अतिरिक्त तथा एक अंग्रेजी प्रारूप सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को दिनांक 30 जून 2016 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट के भाग–4 खण्ड (ख) में प्रकाशित कराकर उसकी 50–50 प्रतियां शासन को प्रेषित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

श्री प्रकाश सिंह
सचिव।

संख्या–2002 (2)/9–1–2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि उक्त अधिसूचना की एक अंग्रेजी प्रारूप सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।
(2) जिलाधिकारी, फिरोजाबाद ।
(3) सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, लखनऊ।
(5) निदेशक, जनगणना निदेशालय, भारत सरकार, अलीगंज, लखनऊ।
(6) निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
(7) निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 लखनऊ।
(8) नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बिहारी लाल काने)
अनु सचिव।